विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-1260/वि0प0-02सं0/2023
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2024

प्रेषक,

प्रताप नारायण द्विवेदी,
विशेष सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त सदस्य,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– सदन का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1249/वि0प0-02सं0/2024, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीया राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में संविधान के अनुच्छेद-205 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-210 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 की तिथि नियत की है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें मंगलवार दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को 12:20 बजे अपराह्न सदन में प्रस्तुत की जायेंगी।

अतः माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा अनन्तिम रूप में स्वीकृत दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 तक की बैठकों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम आपके सूचनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक : प्रस्तावित कार्यक्रम।

भवदीय,
प्रताप नारायण द्विवेदी,
विशेष सचिव।

<u>संख्या-1260(1-31)/वि0प0-02सं0/2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिव को, माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के सूचनार्थ,

2-माननीय सभापति जी के निजी सचिव को, माननीय सभापति जी के सूचनार्थ,

3-माननीय नेता सदन, विधान परिषद् के निजी सचिव को, माननीय नेता सदन के सूचनार्थ,

4-माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के निजी सचिव को, माननीय नेता विरोधी दल के सूचनार्थ,

5-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

6-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,

7-मुख्य सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,

8-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली,

9-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

10-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,

11-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

12-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

13-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् के निजी सचिव को, प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ,

14-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

15-प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

16-प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

17-प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त प्रदेशीय विधान मण्डल, भारतवर्ष,

18-पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, लखनऊ,

19-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ,

20-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,

21-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,

23-अधीक्षक, पुलिस सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, लखनऊ,

24-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश,

25-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

26-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ,

27-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ब्रान्च प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ,

28-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,

29-अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,

30-समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

31-विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन), विधान परिषद् की वेबसाइट हेतु।

संजय कुमार अग्रहरि,
उप सचिव।

<u>संलग्नक-एक</u>

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के आगामी सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम

<u>दिसम्बर, 2024</u>

16 सोमवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 2-विधायी कार्य। 3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
17 मंगलवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। **2-<u>12:20 बजे अपराह्न</u>** वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 3-विधायी कार्य।
18 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य। 3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
19 गुरुवार	1-विधायी कार्य। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
20 शुक्रवार	1-विधायी कार्य। 2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

विगत सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश

1-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2024)

2-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्य
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2024)

3-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2024)

4-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2024)

5-उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादे
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2024)

6-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2024)

7-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2024)

8-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-20 सन् 2024)

9-उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-21 सन् 2024)

पी0एस0यू0पी0-एल0 63 विधान परिषद् (268) 10-12-2024-250 प्रतियां (कम्प्यूटर)।